संख्या- 05/2023/2357239/2023/श्रम-2

प्रेषक,

प्रेम प्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,
लखनऊ

श्रम अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक : 05 अप्रैल, 2023

विषय- अटल आवासीय विद्यालय योजना में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-8124/भ0नि0बो0-(2177)-2023, दिनांक 21-03-2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अटल आवासीय विद्यालय योजना में संशोधन के संबंध में उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की 57वीं बैठक दिनांक 14-03-2023 में सर्वसम्मति से हुए बोर्ड के निर्णय के क्रम में अटल आवासीय विद्यालय योजना की वर्तमान व्यवस्था में निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए प्रस्तावित संशोधन पर अनापत्ति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

| वर्तमान व्यवस्था | संशोधन के उपरान्त व्यवस्था |
|---|---|
| 1-योजना का नाम- अटल आवासीय विद्यालय योजना<br>2- योजना का उद्देश्य-<br>इस योजना का मूल उद्देश्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत लाभार्थी पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों एवं अन्य अनाथ बेसहारा बच्चों को सामाजिक न्याय की अवधारणा के दृष्टिगत समाज की मुख्य धारा से जोड़े जाने हेतु उनके बौद्धिक शारीरिक विकास एवं उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है ताकि वह भविष्य में देश के सशक्त नागरिक बन सके एवं उच्च शिक्षा के लिए व्यवस्थित, सुगठित एवं सुसंस्कृत ढंग से तैयार हो सके। योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों को कक्षा 06 से कक्षा 12 तक की निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना है। | 1-योजना का नाम- अटल आवासीय विद्यालय योजना<br>2- योजना का उद्देश्य-<br>इस योजना का मूल उद्देश्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत लाभार्थी पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों एवं कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चों (महिला कल्याण विभाग, लखनऊ से प्राप्त सूची के आधार पर) तथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के लिए पात्र बच्चों को सामाजिक न्याय की अवधारणा के दृष्टिगत समाज की मुख्य धारा से जोड़े जाने हेतु उनके बौद्धिक शारीरिक विकास एवं उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है ताकि वह भविष्य में देश के सशक्त नागरिक बन सके एवं उच्च शिक्षा के लिए व्यवस्थित, सुगठित एवं सुसंस्कृत ढंग से तैयार हो सके। योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों को कक्षा 06 से कक्षा 12 तक की निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना है। |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | |
|---|---|
| 3-पात्रता-<br>1. इस योजना के अन्तर्गत अनाथ बच्चे एवं ऐसे अद्यतनीकृत रूप से विधिवत पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो पंजीयन के उपरान्त कम से कम 01 वर्ष (365 दिन) बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर चुके हो, उनके बच्चें पात्र होंगें।<br>2. योजना के अन्तर्गत पंजीकृत कामगार के अधिकतम 02 बच्चे विद्यालय में अध्ययन करने हेतु पात्र होगें। | 3-पात्रता-<br>1. इस योजना के अन्तर्गत कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चों (महिला कल्याण विभाग, लखनऊ से प्राप्त सूची के आधार पर) तथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना(सामान्य) के लिए पात्र बच्चों एवं ऐसे अद्यतनीकृत रूप से विधिवत पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो पंजीयन के उपरान्त **कम से कम 03 वर्ष** बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर चुके हो, उनके बच्चे पात्र होंगें।<br>2. योजना के अन्तर्गत पंजीकृत कामगार **परिवार** के अधिकतम 02 बच्चे विद्यालय में अध्ययन करने हेतु पात्र होगें। |
| 4-विद्यालय संचालन की रूप रेखा-<br>1. इन विद्यालयों में शिक्षा का पाठ्यक्रम सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम से नवोदय विद्यालय की भॉति किया जायेगा।<br>2. प्रत्येक विद्यालय की छात्र क्षमता 1000 की होगी, जिसमें 500 छात्र एवं 500 छात्राएँ होगीं।<br>3. प्रत्येक वर्ष निर्माण श्रमिकों के बच्चों एवं अनाथ बेसहारा बच्चों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का मेरिट के अनुसार विद्यालयों में प्रवेश लिया जायेगा। | 4-विद्यालय संचालन की रूप रेखा-<br>1. इन विद्यालयों में शिक्षा का पाठ्यक्रम सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम से नवोदय विद्यालय की भॉति किया जायेगा।<br>2. प्रत्येक विद्यालय की छात्र क्षमता 1000 की होगी, जिसमें 500 छात्र एवं 500 छात्राएँ होगीं।<br>3. प्रत्येक वर्ष निर्माण श्रमिकों के बच्चों एवं **कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चों (महिला कल्याण विभाग, लखनऊ से प्राप्त सूची के आधार पर) तथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के लिए पात्र बच्चों** का प्रवेश **अटल आवासीय विद्यालय समिति (AVS) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर लिया जायेगा।** |
| 5-योजना का क्रियान्वयन-<br>1. अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन, अटल आवासीय विद्यालय समिति (AVS) के माध्यम से किया जायेगा। अटल आवासीय विद्यालय समिति में समस्त प्रकरणों के प्रबन्धन, जिसमें बजट निर्धारित करना भी सम्मिलित होगा, की शक्तियॉ निहित होगी। विद्यालयों के गुणवत्ता पूर्वक संचालन हेतु विभिन्न प्रकार की समितियाँ गठित करने एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु निर्णय लेने हेतु समिति ही अधिकृत | 5-योजना का क्रियान्वयन-<br>1. अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन, अटल आवासीय विद्यालय समिति (AVS) के माध्यम से किया जायेगा। अटल आवासीय विद्यालय समिति में समस्त प्रकरणों के प्रबन्धन, जिसमें बजट निर्धारित करना भी सम्मिलित होगा, की शक्तियॉ निहित होगी। विद्यालयों के गुणवत्ता पूर्वक संचालन हेतु विभिन्न प्रकार की समितियाँ गठित करने एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु निर्णय लेने हेतु समिति ही अधिकृत होगी। |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | |
|---|---|
| होगी।<br>2. उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के स्तर से योजना के क्रियान्वयन हेतु बोर्ड स्तर पर विद्यालय संचालन सेल का गठन किया जायेगा। | 2. उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के स्तर से योजना के क्रियान्वयन हेतु बोर्ड स्तर पर विद्यालय संचालन सेल का गठन किया जायेगा। |
| **6-योजना के अन्तर्गत बजट की व्यवस्था-**<br>1. अटल आवासीय विद्यालयों के संचालन के मद मे होने वाले समस्त व्यय की व्यवस्था उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा की जायेगी। बोर्ड द्वारा अटल आवासीय विद्यालय समिति (AVS) के कार्यालय के मद में होने वाले व्यय का वार्षिक बजट बोर्ड से पास कराते हुए समिति को उपलब्ध करायी जायेगी।<br>2. समिति द्वारा वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तथा आडिटेड बैंलेंसशीट बोर्ड कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। इसी प्रकार समस्त विद्यालयों द्वारा भी ऑडिट रिपोर्ट अटल आवासीय विद्यालय समिति के माध्यम से बोर्ड को उपलब्ध करायी जायेगी।<br>3. अनाथ बच्चों के सापेक्ष होने वाले व्यय का भुगतान राज्य सरकार द्वारा अटल आवासीय विद्यालय समिति (AVS) को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके माध्यम से विद्यालयों को धनराशि हस्तगत कराया जायेगा। इस हेतु अटल आवासीय विद्यालय समिति (AVS) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में पृथक से खाते का संचालन करेगा। | **6-योजना के अन्तर्गत बजट की व्यवस्था-**<br>1. अटल आवासीय विद्यालयों के संचालन के मद मे होने वाले समस्त व्यय की व्यवस्था उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा की जायेगी। बोर्ड द्वारा अटल आवासीय विद्यालय समिति (AVS) के कार्यालय के मद में होने वाले व्यय का वार्षिक बजट बोर्ड से पास कराते हुए समिति को उपलब्ध करायी जायेगी।<br>2. समिति द्वारा वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तथा आडिटेड बैंलेंसशीट बोर्ड कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। इसी प्रकार समस्त विद्यालयों द्वारा भी ऑडिट रिपोर्ट अटल आवासीय विद्यालय समिति के माध्यम से बोर्ड को उपलब्ध करायी जायेगी।<br>3. कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चों(महिला कल्याण विभाग, लखनऊ से प्राप्त सूची के आधार पर) तथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना(सामान्य) के लिए पात्र बच्चों के सापेक्ष होने वाले व्यय का भुगतान राज्य सरकार द्वारा अटल आवासीय विद्यालय समिति (AVS) को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके माध्यम से विद्यालयों को धनराशि हस्तगत कराया जायेगा। इस हेतु अटल आवासीय विद्यालय समिति (AVS) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में पृथक से खाते का संचालन करेगा। |
| **7- विद्यालयों में प्रदान किये जाने वाली सुविधाएँ**<br>विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण छात्रावास, खान-पान, खेलकूद, चिकित्सा, सुरक्षा आदि सुविधा जैसा कि अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा नियत की जाये, प्रदान किये जाने का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धन समिति का होगा। | **7- विद्यालयों में प्रदान किये जाने वाली सुविधाएँ**<br>विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण छात्रावास, खान-पान, खेलकूद, चिकित्सा, सुरक्षा आदि सुविधा जैसा कि अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा नियत की जाये, प्रदान किये जाने का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धन समिति का होगा। |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| 8- कठिनाइयों का निवारण - | 8- कठिनाइयों का निवारण - |
|---|---|
| अटल आवासीय विद्यालयों के संचालन में किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर अटल आवासीय विद्यालय समिति (AVS) निर्णय लेने हेतु सक्षम होगी और इस सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश/आदेश इत्यादि निर्गत करने हेतु सक्षम होगी। | अटल आवासीय विद्यालयों के संचालन में किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर अटल आवासीय विद्यालय समिति (AVS) निर्णय लेने हेतु सक्षम होगी और इस सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश/आदेश इत्यादि निर्गत करने हेतु सक्षम होगी। |

2- 'अटल आवासीय विद्यालय योजना' की वर्तमान व्यवस्था में उक्तानुसार संशोधन पर उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की 57वीं बैठक दिनांक 14-03-2023 में बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया है। अत: अटल आवासीय विद्यालय योजना में उक्तानुसार संशोधन पर इस शर्त के साथ अनापत्ति प्रदान जाती है कि बोर्ड, इस संबंध में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं संगत नियमावली, 2009 का अनुपालन एवं पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा हितों का अनुरक्षण पात्र निर्माण श्रमिकों के हित में पूर्णत : सुनिश्चित करायेगा।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार अग्रतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय

प्रेम प्रकाश सिंह
विशेष सचिव

संख्या- 05 /2023/2357239(1)/2023/श्रम-2, तददिनांक,

प्रतिलिपि-

(1) श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
(2) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

चिरौंजी लाल
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।